छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 304/2006

श्री उमेश अग्रवाल,
जिला कोषालय अधिकारी,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ लोक आयोग,
छत्तीसगढ़, रायपुर .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 28 मई 2007)

श्री उमेश अग्रवाल, जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर अपीलार्थी के द्वारा जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक आयोग से यह जानकारी चाही थी कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम–2002 की उस प्रावधान की सत्यप्रतिलिपि प्रदान की जावे, जिसमें यह प्रावधानित है कि लोक आयोग किसी लोक सेवक के विरूद्ध ऐसी शिकायत भी पंजीकृत करेगा, जिसके साथ शिकायतकर्ता का शपथपत्र और निक्षेप राशि नहीं है एवं जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं की गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को जानकारी दी गई कि लोक आयोग अधिनियम–2002 की धारा–9 में जाँच की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, किस आधार पर प्राप्त शिकायत–पत्रों का निराकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथक से उपरोक्त अधिनियम के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है तो अपीलार्थी किसी विधि विशेषज्ञ से चर्चा कर सकते हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी, सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के द्वारा निर्धारित अवधि में आदेश पारित नहीं होने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक आयोग को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा स्पष्ट रूप से उस प्रावधान की जानकारी मांगी गई थी, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग ऐसी किसी शिकायत की जाँच कर सकता है, जिस शिकायत पत्र के साथ शपथ–पत्र एवं अधिनियम की धारा–8 के अंतर्गत निर्धारित 250/– रुपये की राशि न दी गई हो। छत्तीसगढ़ लोक आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के द्वारा वांछित जानकारी नहीं दी गई, केवल यह बतलाया गया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम की धारा–9 के अंतर्गत जाँच की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है तथा उसके अनुसार जाँच की जा सकती है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि उसे स्पष्ट रूप से वांछित जानकारी दी जाना चाहिये। यदि अधिनियम अथवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिये कि इस प्रकार का

कोई प्रावधान नहीं है। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा स्पष्ट जानकारी न देकर अस्पष्ट एवं भ्रामक जानकारी दी गई है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अधिनियम में जाँच की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख है, जिसे कि अपीलार्थी को सूचित किया गया।

3/ दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्कों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अधिनियम अथवा नियमों के प्रावधान की जानकारी चाही थी, जो कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं दी गई। यदि अपीलार्थी के द्वारा वांछित जानकारी अधिनियम में अथवा नियमों में है तो अधिनियम अथवा नियमों के उक्त प्रावधान की प्रतियाँ अपीलार्थी को दी जाना चाहिये थी। यदि प्रावधान नहीं है तो जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के द्वारा प्रावधान नहीं होने का उल्लेख करते हुये सूचित किया जाना चाहिये था। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी सही रूप में नहीं प्रदान की गई है, दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण है तथा वांछित जानकारी संबंधित नहीं है। अपीलार्थी की ओर से मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम–1981 एवं छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम–2002 का उल्लेख करते हुये यह बतलाया गया कि दोनों अधिनियमों में शपथपत्र तथा राशि निक्षेप करने के साथ ही शिकायत करने पर जाँच किये जाने का प्रावधान है। चूँकि प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण है, अतः जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक आयोग को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अंदर आवेदक के द्वारा वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को प्रदान करें। जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश त्रुटिपूर्ण जानकारी नहीं दी है, अतः प्रतिअपीलार्थी को अर्थदण्ड किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह अवश्य है कि त्रुटिपूर्ण जानकारी देने से अपीलार्थी को आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक आयोग को निर्देशित किया जाता है कि 250/– रुपये (दो सौ पचास रुपये मात्र) की क्षतिपूर्ति की राशि आयोग की ओर से अपीलार्थी को प्रदान की जावे।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त